न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षं : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2882—पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4—12—12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 63/अपील/2011—12.

1— जवाहर सिंह पुत्र कन्हैयालाल
2— परसराम पुत्र कन्हैयालाल
3— नारायण पुत्र बलीराम
निवासीगण ग्राम तरोला
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

महेन्द्र कुमार पुत्र दयाशंकर
निवासीग ग्राम तरोला
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ....अनावेदक

श्री श्याम ठाकरे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक,आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/8/13 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 4—12—12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 जवाहर सिंह द्वारा तहसीलदार, बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा ग्राम करहोला की नामांतरण पंजी कमांक 50 में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 17—10—79 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के

समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15–9–10 को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 50/अपील/ए–6/2009–10 दर्ज कर दिनांक 17–1–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधि अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 3–11–11 को लगभग 9 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण विलम्ब क्षमा किए जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–12–12 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने के उपरान्त भी 7 दिवस पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है और इन 7 दिवस का कारण भी आदेश में नहीं दर्शाया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में हुई कि प्रश्नाधीन भूमि में बटवारा आदेश पारित हो चुका है, तब उसके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में अपर आयुक्त के समक्ष अपील पस्तुत की गई । अतः अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष मात्र 9 माह विलम्ब से द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उसे किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है । स्वयं अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष स्वीकार किया गया है कि चूंकि बटवारा दिनांक को विक्रय पत्र 1981 अस्तित्व में नहीं था, इसलिये उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं किये जाने के कारण उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–12 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर